

अंचल कार्यालय, महेशपुर।

राजस्व विविध वाद अभिलेख संख्या-25/16-17 साथ में वाद संख्या-32/16-17

(जयकाली देवी बनाम झारखण्ड सरकार)

(बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1950 (झारखण्ड में अंगीकृत) धारा-4(H) के अन्तर्गत)

आदेश की तिथि	पदाधिकारी का आदेश	अभ्युक्ति
22/09/20	इस वाद की कार्यवाही मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार के पत्रांक 04/स0भू0 (दिशा निर्देश)-95/2016, 2074/रा0 राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार दिनांक 13.05.2016 के आलोक में अपर समाहर्ता, पाकुड़ के संसूचित आदेश ज्ञापांक 479/रा0, दिनांक 14.05.2016 से अनाबादी खातान्तर्गत गैर मजरूआ आम/खास भूमि की कायम जमाबंदी के सत्यता एवं शुद्धता की जाँच हेतु प्राप्त निदेश के आलोक में प्रारम्भ की गई है। संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक द्वारा अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्रतिवेदित है कि मौजा-महेशपुर थाना संख्या-250 के खाता संख्या-162 दाग संख्या-88 रकबा-00 बीघा 17 कटठा 11 धूर किस्म-वास्तु-सह-ऑगन एवं दाग संख्या-89 कुल खतियानी रकबा-23 बीघा 04 कटठा 01 धूर किस्म-बाड़ी आउल अन्तर्गत अंश रकबा-20 बीघा 16 कटठा 00 धूर भूमि राजस्व पंजी-II के भाग संख्या-04 पेज संख्या-177 में जयकाली देवी पति-गिरिन्द्र नारायण सिंह साकिन-महेशपुर के नाम से बिना दाग संख्या एवं बिना प्राधिकार कॉलम में वांछित प्रविष्टि के इन्द्राज है। संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक द्वारा समर्पित हल्कावार समेकित प्रथम जाँच प्रतिवेदन में वर्णित दागों की भूमि की दो स्थानों पर प्रविष्टि के फलस्वरूप तत्कालीन अंचल अधिकारी, महेशपुर के द्वारा वर्णित दागों के भूमि की जाँच हेतु समानान्तर दो अभिलेखों यथा-अभिलेख संख्या-25/16-17 एवं अभिलेख संख्या-32/16-17 का संधारण किया गया है। एक ही मौजा अन्तर्गत समान दागों के सम्पूर्ण रकबा की भूमि की बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा-4(h) के अन्तर्गत अलग-अलग अभिलेखों के माध्यम से कार्यवाही का संचालन किया जाना तर्कसंगत न होने के कारण अभिलेख संख्या-32/16-17 के साथ अभिलेख संख्या-25/16-17 को सम्बद्ध (Attached) करते हुए वाद की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। इस कार्यालय के ज्ञापांक 419/रा0 एवं 422/रा0, दिनांक 02.07.2016 से निर्गत नोटिश, जो अभिलेखबद्ध है, के प्रत्युत्तर में बृजराज नारायण सिंह पिता-स्व0 निर्मल कुमार सिंह साकिन-महेशपुर के द्वारा निबंधित केवाला संख्या-3125/1999 एवं निबंधित केवाला संख्या-3126/1999 की छायाप्रति के साथ टंकित अभिकथन के माध्यम से कारणपृच्छा समर्पित कर प्रतिवेदित किया गया कि-आवेदक एवं उनके पिता के द्वारा पंजी-II रैयत जयकाली देवी के पुत्र गोवर्धन सिंह से संलग्न केवालाओं के माध्यम से दाग संख्या-88 एवं 89 में रकबा-08 बीघा 13 कटठा 11 धूर भूमि का क्रय किया गया है एवं वर्ष 2014 से भु-लगान का भुगतान किया जा रहा है। आवेदक द्वारा समर्पित कारण पृच्छा के अवलोकनोपरान्त सम्पूर्ण वस्तुस्थिति की सम्यक् एवं विस्तृत जाँचोपरान्त प्रतिवेदन समर्पित करने हेतु दिए गए निदेश के आलोक में संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक के द्वारा पुनश्च अंचल निरीक्षक के माध्यम से जाँच प्रतिवेदन समर्पित कर प्रतिवेदित किया गया है कि-मौजा-महेशपुर थाना संख्या-250 एक बिक्रयशील मौजा है। वर्णित दागों की भूमि की राजस्व पंजी- II के भोल्यूम संख्या-04 पेज संख्या-177 में जयकाली देवी के नाम से रकबा-20 बीघा 16 कटठा 00 धूर की जमाबंदी कायम है एवं वर्ष 1975-76 से भु-लगान भुगतान किए जाने की प्रविष्टि राजस्व पंजी- II में इन्द्राज है। आवेदक बृजराज नारायण सिंह पिता-निर्मल कुमार सिंह के द्वारा	

22/09/20

निबंधित केवाला संख्या-3125/1999 के माध्यम से मौजा-महेशपुर खाता संख्या-162 अन्तर्गत दाग संख्या-88 में रकबा-00 बीघा 17 कट्ठा 11 धूर एवं दाग संख्या-89 में रकबा-07 बीघा 16 कट्ठा 00 धूर भूमि क्षमता प्राप्त आम मोखतार गोवर्धन सिंह माता-जयकाली देवी से क्रय किया गया है जबकि निर्मल कुमार सिंह पिता-तपनेन्द्र नारायण सिंह, जो आवेदक के पिता हैं के द्वारा दाग संख्या-89 में रकबा-08 बीघा 13 कट्ठा 11 धूर भूमि निबंधित केवाला संख्या 3126/1999 के द्वारा क्षमता प्राप्त आम मोखतार गोवर्धन सिंह माता-जयकाली देवी से माध्यम से क्रय किया गया है।

संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक के द्वारा प्रतिवेदित है कि नामान्तरण वाद संख्या-381/2008-09 के माध्यम से कुमार निर्मल सिंह के पक्ष में दाग संख्या-89 में रकबा-08 बीघा 11 कट्ठा 13 धूर एवं नामान्तरण वाद संख्या-382/2008-09 के माध्यम से कुमार बृजराज सिंह के पक्ष में दाग संख्या-88 में रकबा-00 बीघा 17 कट्ठा 11 धूर एवं दाग संख्या-89 में रकबा-07 बीघा 16 कट्ठा 00 धूर भूमि का कुमार निर्मल सिंह एवं बृजराज नारायण सिंह के पक्ष में जमाबंदी कायम की गई है। क्रेता बृजराज नारायण सिंह के उपर वर्णित क्रय केवाला संख्या-3125/1999 के साथ आबद्ध सनार्थक निबंधित केवाला (पीठ दलील) संख्या-519/1944 एवं केवाला संख्या-946/1958 जिसके सत्यता एवं शुद्धता की सम्पुष्टि जिला अभिलेखागार, दुमका से कराई गई है, के अवलोकनोपरान्त संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक के द्वारा विस्तृत रूप से प्रतिवेदित किया गया है कि सुल्तानाबाद इस्टेट के तत्कालीन भुतपूर्व मध्यवर्ती (जमींदार) स्व० देवेन्द्र नारायण सिंह के पुत्र कालीकिंकर सिंह के द्वारा निबंधित दानपत्र केवाला संख्या-519/1944 के माध्यम से दाग संख्या-88 में रकबा-00 बीघा 17 कट्ठा 11 धूर एवं दाग संख्या-89 में रकबा-01 बीघा 17 कट्ठा 01 धूर दोनों दागों में कुल रकबा-02 बीघा 14 कट्ठा 12 धूर भूमि जयकाली देवी पति-स्व० गिरिन्द्र नारायण सिंह साकिन-महेशपुर को अन्तरित किए जाने की पुष्टि की गई है।

पुनश्च: निबंधित केवाला संख्या-946/1958 जो कालीकिंकर सिंह पिता-स्व० देवेन्द्र नारायण सिंह (बिक्रेता) के द्वारा श्रीमती जयकाली देवी पति-गिरिन्द्र नारायण सिंह (क्रेता) के पक्ष में दाग संख्या-89 की अवशेष भूमि अन्तरण हेतु निष्पादित है, के अवलोकनोपरान्त प्रतिवेदित किया है कि- कालीकिंकर सिंह पिता-स्व० देवेन्द्र नारायण सिंह के द्वारा निबंधित दानपत्र संख्या-519/1944 में जयकाली देवी के पक्ष में दाग संख्या-88 में रकबा-00 बीघा 17 कट्ठा 11 धूर एवं दाग संख्या-89 में रकबा-01 बीघा 17 कट्ठा 01 धूर भूमि वर्ष 1942 में हुए अन्तरण की पुर्नब्याख्या करते हुए निबंधित केवाला संख्या-946/1958 में यह उल्लिखित किया गया है कि दाग संख्या-89 कुल खतियानी रकबा-23 बीघा 04 कट्ठा 01 धूर में पूर्व में दान किए गए रकबा-01 बीघा 17 कट्ठा 01 धूर को छोड़कर पुनश्च: आपसी समझौते के तहत जयकाली देवी को दाग संख्या-89 में रकबा-09 बीघा 00 कट्ठा 00 धूर भूमि प्राप्त हुआ है। बिक्रेता कालीकिंकर सिंह के द्वारा निष्पादित निबंधित बिक्रय केवाला संख्या-946/1958 में अभिलिखित है कि जयकाली देवी को दाग संख्या-89 में रकबा-01 बीघा 17 कट्ठा 01 धूर एवं रकबा-09 बीघा 00 कट्ठा 00 धूर भूमि प्राप्ति के उपरान्त निबंधित प्रश्नगत केवाला संख्या-946/1958 के माध्यम से दाग संख्या-89 में अवशेष भूमि रकबा-12 बीघा 07 कट्ठा 00 धूर का सम्पूर्ण स्वत्व त्याग करते हुए श्रीमती जयकाली देवी पति-गिरिन्द्र नारायण सिंह के पक्ष में अन्तरण कर रहा हूँ।

संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक द्वारा समर्पित प्रतिवेदन एवं निबंधित केवाला संख्या- निबंधित दानपत्र संख्या-519/1944 तथा निबंधित केवाला संख्या-946/1958 के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि श्रीमती जयकाली देवी को दाग संख्या-88 एवं 89 का सम्पूर्ण खतियानी रकबा, जो तत्कालीन

Signature
22/09/20

जमींदार के खास दखल की भूमि थी, जमींदारी उन्मूलन के पूर्व निर्वाचित केवालाओं के माध्यम से प्राप्त है। तदुपरान्त उक्त के आधार पर राजस्व पंजी-11 के मोल्युम संख्या-04 पेज संख्या-177 में श्रीमती जयकाली देवी के पक्ष में जमाबंदी कायम की गई है। स्थल जाँचोपरान्त संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक से द्वारा यह स्पष्ट प्रतिवेदित किया गया है कि वर्णित केवालाओं के माध्यम में श्रीमती जयकाली देवी को दाग संख्या-88 एवं 89 में प्राप्त भूमि पर वर्तमान में भी गृह निर्माण, जलकूप एवं अन्यान्य वास्तु निर्माण के भग्नावशेष मौजूद है, जो श्रीमती जयकाली देवी के दखल भोग की प्रमाणिकता को बल प्रदान करती है।

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक-2074/दिनांक-13.05.2016, श्री अनुप चटर्जी, निदेशक, भू-अर्जन सह विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक-2308/दिनांक-03.09.1985 द्वारा गैर मजरूआ खास जमीन पर 01.01.1946 के पूर्व निष्पादित विक्रय विलेख, अनिवारित वन्दोवस्ती परवाना हुक्मनामा, भू-लगान रसीद के आधार पर रैयती दावे को मान्यता देने संबंधी मार्गदर्शन के आलोक में भी प्रश्नगत दाग की भूमि पर पंजी-11 रैयत के दावे की जाँच की गई। दस्तावेजों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि इस वाद में अन्तर्निहित दागों की भूमि पर रैयती अधिकार संदर्भित दावा अनिवारित हुक्मनामा, वन्दोवस्ती परवाना के आधार पर नहीं बल्कि जमींदारी उन्मूलन के पूर्व Indian Registration Act 1908 की धारा-17 के तहत निष्पादित निर्वाचित दानपत्र/विक्रय विलेख है, जो रैयत के साक्ष्य का संरक्षण (Conservation), धोखाधड़ी की रोकथाम एवं स्वतन्त्राधिकार के आरवासन से अभिप्रेरित है। श्री अनुप चटर्जी, निदेशक, भू-अर्जन सह विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक-2308/दिनांक-03.09.1985 में गैर मजरूआ खास भूमि की सादा हुक्मनामा अथवा कर्मचारी द्वारा बिना प्राधिकार निर्गत लगान रसीद के आधार पर किसी के दावे को मान्यता नहीं दी जा सकती है, से संबंधित है जबकि प्रश्नगत दागों की भूमि के स्वत्व का अन्तरण Indian Registration Act 1908 की धारा-17 के तहत जमींदारी उन्मूलन के पूर्व ही निष्पादित है। संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक एवं अचल निरीक्षक महेशपुर द्वारा राजस्व दस्तावेज एवं स्थलीय जाँचोपरान्त विहित प्रपत्र में प्रविष्ट चेकस्लीप के अवलोकन से भी यह ज्ञात होता है कि दाग संख्या-88 एवं 89 की सम्पूर्ण भूमि पर जयकाली देवी स्वत्ववती होकर भोगदखलकार रही है एवं स्थलीय जाँच में बसोवास साक्ष्य के रूप में मकान, कूप एवं अन्यान्य वास्तु निर्माण भग्नावशेष में साक्ष्य रूप में अभी भी विद्यमान है। पूर्व पंजी-11 रैयत जयकाली देवी के पुत्र गोवर्धन सिंह के द्वारा भी निर्वाचित केवालाओं के माध्यम से दाग संख्या-88 एवं 89 की भूमि का वृजराज नारायण सिंह एवं निर्मल कुमार सिंह के पक्ष में अन्तरण किया गया है एवं उक्त के आधार पर तत्कालीन अचल अधिकारी, महेशपुर के द्वारा क्रेतागणों के पक्ष में जमाबंदी कायम की गई है। सभी दस्तावेजों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि वर्णित अनावादी खाता की खास दखल की भूमि तत्कालीन भुतपूर्व मध्यवर्ती देवेन्द्र नारायण सिंह के पुत्र कालीकिंकर सिंह से श्रीमती जयकाली देवी को विधिवत जमींदारी उन्मूलन के पूर्व निर्वाचित केवाला के माध्यम से प्राप्त हुआ है एवं उक्त के आधार पर श्रीमती जयकाली देवी के पुत्र गोवर्धन सिंह के द्वारा अपनी माता से क्षमता प्राप्त आम मोखतार की हैसियत से प्रश्नगत दागों की भूमि वृजराज नारायण सिंह एवं निर्मल कुमार सिंह को निर्वाचित केवालाओं के माध्यम से अन्तरित किया गया है, जिसकी वर्तमान में राजस्व पंजी-11 के मोल्युम संख्या-08 पेज संख्या-144 में जमाबंदी कायम है। वर्णित दागों की भूमि राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, राँची अथवा श्री अनुप चटर्जी, भू-अर्जन सह विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक-2308/दिनांक-03.09.1985 में वर्णित कंडिकाओं से

22/09/20

आच्छादित नहीं है।

बिहार भूमि सुधार (अधिकतम सीमा का निर्धारण एवं अधिशेष भूमि का अर्जन) अधिनियम 1950 की धारा-5, 6 एवं 7 के आलोक जाँच के क्रम में मूल जमाबंदी रैयत जयकाली देवी के पक्ष में निष्पादित निर्बंधित विलेखों में विक्रेता कालीकिंकर सिंह माता जयकाली देवी द्वारा लेखापित कराया गया है कि- उक्त दाग की जमीन गत सेटलमेंट के अनावादी पर्चा में मेरा नाम दखल, लिपिबद्ध हुआ है। मेरा सम्पूर्ण इस्टेट वर्ष 1952 साल में जुलाई माह में बिहार लैण्ड रिफार्म्स आईन अनुसार महगान्य बिहार गवर्नमेंट बहादुर दखल कराए हैं एवं सम्पत्ति को छोड़कर मेरा विशेष कुछ और नहीं था अथवा नहीं है। "के अवलोकन से प्रतीत होता है कि विक्रेता के द्वारा धारा-5 के तहत अधिकतम सीमा से अधिक भूमि को धारित नहीं किया गया है"।

पुनश्च: भूधारी कालीकिंकर सिंह की यह स्वीकारोक्ति यथा-इस सम्पत्ति को छोड़कर मेरा विशेष कुछ और नहीं था अथवा नहीं है" धारा-6 एवं 7 से आच्छादित प्रतीत नहीं होता है।

Bihar Land Reforms (Fixation of Ceiling Area and Acquisition of surplus Land) Act 1950 में यह सुस्पष्ट है कि जमींदार के खास दखल/राज्य सरकार द्वारा दी गई बन्दोबस्ती/भू-हदबंदी वाद के माध्यम से भुतपूर्व जमींदार एवं उनके बालिग सदस्यों द्वारा धारित एक यूनिट भूमि/भू-दान/बासगीत पर्चा के माध्यम से प्राप्त भूमि को छोड़कर अनावादी खाता की अन्यान्य भूमि जमींदारी विलयन के पश्चात् सभी अधिमारों से मुक्त राज्य सरकार में सन्निहित हो गई है।

इस वाद से संबंधित जमींदारी उन्मूलन के पूर्व निष्पादित निर्बंधित विक्रय/दानपत्र अभिलेखों, उक्त के आधार पर क्रेता जयकाली देवी के नाम सृजित जमाबंदी, जयकाली देवी के पुत्र गोवर्धन सिंह के द्वारा निर्बंधित केवालाओं के माध्यम से भूमि के स्वत्व का अन्तरण एवं उक्त अन्तरण विलेख के आधार पर क्रेता बृजराज नारायण सिंह एवं निर्मल कुमार सिंह के पक्ष में सृजित जमाबंदी, स्थलीय जाँच में मूल विक्रेता कालीकिंकर सिंह का वाद में अन्तर्निहित दागों की भूमि पर बसोवास संदर्भित वास्तु भग्नावशेषों एवं वर्तमान दखल भोग संदर्भित जाँच प्रतिवेदन के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा संदेहस्पद जमाबंदी की जाँच हेतु निर्गत दिशा निदेशों के आलोक में सम्यक् जाँचोपरान्त यह स्पष्ट होता है कि वर्णित दागों की भूमि का कालान्तर में एवं वर्तमान में भी वास्तविक स्वत्वाधिकारी के द्वारा विधिवत स्वत्व प्राप्ति के उपरान्त अन्तरण किया गया है एवं राजस्व पंजी- II में जमाबंदी का सृजन हुआ है। उक्त के आलोक में सभी तथ्यों, दस्तावेजों एवं संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक/अंचल निरीक्षक द्वारा समर्पित अनुसंधित जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन एवं संवीक्षा के आलोक में मौजा-महेशपुर खाता संख्या-162 दाग संख्या-88 एवं 89 की भूमि को बिहार भूमि सुधार (अधिकतम सीमा का निर्धारण एवं अधिशेष भूमि का अर्जन) अधिनियम 1950 की धारा-4 (h) के तहत सरकार में सन्निहित करने हेतु इस वाद के माध्यम से प्रारम्भ की गयी कार्यवाही को समाप्त (DROP) किया जाता है। आदेश से विपक्षी/प्राधिकृत विद्वान अधिवक्ता को अवगत करावे।

लेखापित एवं संशोधित

Sharma K. S. 20/06/20

अंचल अधिकारी

महेशपुर

Sharma K. S. 20/06/20

अंचल अधिकारी

महेशपुर